GCMS NO. - 2024/91

FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, मुकाम डीडवाना–कुचामन

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
आई.डी.एफ.सी. फस्ट बैंक लिमिटेड़, के आर एम टॉवर्स, सांतवां तल, नं. 1, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नई–600031	बनाम	राजेश कुमार पुत्र मनसुख राम सेन जाति नाई निवासी चारणवास तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन।

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र संख्या... 37 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख मे जारी हुए
19.07.2024	प्रार्थी आई.डी.एफ.सी. फस्ट बैंक लिमिटेड ने अप्रार्थीगण राजेश कुमार ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम–2002 के तहत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी बैंक से बिन्दुवार रिपोर्ट ली जावें। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिंनाक 12.08.2024 को पेश हो। जिला कलक्टर, डीडवाना–कुचामन	
12/08/2024	पत्रावली पेश हुई। जिला बार संघ डीडवाना ने अदालती कार्य स्थगित रखा है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 03/09/2024 को पेश हो।	
3/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस एवं पत्रावली सुनी गई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में IDFC फर्स्ट बैंक द्वारा ऋणी अप्रार्थीगण के विरुद्ध 399607/- रु. की वसूली बकाया बताई गई। पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार ऐसा कोई प्रार्थना	

जिला कलक्टर

डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bal Mu

Asawa

Date: 2024.09.23 15:53:32

Reason: SelfAttested

लगातार - 2 पर

3/9/24

प्रस्तुत नहीं है जो यह सिद्ध कर सके कि अप्रार्थी द्वारा कितनी राशि का ग्रहण लिया गया। अप्रार्थी ने ऋण स्वीकृत कितनी राशि जमा करवा दी एवं अप्रार्थी किस दिनांक को डिफाल्टर घोषित किया गया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे इस बात की जांच की जा सके कि अप्रार्थी को किस ब्याज दर पर राशि लगाई गई एवं कब से लगाई गई।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड अनुसार प्रस्तावित प्रकरण राकेश कुमार एवं निर्मला देवी के संयुक्त नाम से ऋण स्वीकृत किया गया था। प्रार्थी बैंक द्वारा सम्पूर्ण ग्रहण राशि राकेश कुमार के आकस्मिक पट्टा शुदा से वसूल करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा न्यायालय द्वारा चाहे जाने पर भी ऐसा कोई प्रावधान प्रस्तुत नहीं किया है जो यह सिद्ध कर सके कि संयुक्त नाम से किये गये ऋण की राशि की सम्पूर्ण वसूली किसी एक आवेदक की सम्पत्ति से की जा सके।

अतः उक्त विवेचन अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार होने के कारण खारीज किया जाता है। पत्रावली नतीजा शुमार होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
डीडवाना कुचामन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.09.23 15:53:32 IST
Reason: SelfAttested